

झारखण्ड सरकार
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

4366 राँची, दिनांक:- 06/07/2026

विषय:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 में संशोधन के संबंध में।

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक-3286 दिनांक-04.04.2014, संकल्प ज्ञापांक-10483 दिनांक-24.10.2014 एवं संकल्प ज्ञापांक-2621 दिनांक-20.03.2015 के द्वारा राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सेवाओं/संवर्गों आदि में एक पद से दूसरे पद पर प्रोन्नति के लिए ग्रेड पे आधारित कालावधि निर्धारित की गयी है एवं कालावधि में छूट से संबंधित प्रावधान किये गये हैं।

2. संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 की कंडिका-3 में निम्नवत् प्रावधान है:-

"राज्य सेवा/संवर्गों में प्रोन्नति के लिए कालावधि निर्धारण अथवा छूट के संबंध में पूर्व से निर्गत सभी संकल्प/नियम इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।

यदि किसी सेवा/संवर्ग की नियमावली में कालावधि संबंधी कोई प्रावधान हो तो प्रशासी विभाग उसे तदनुरूप संशोधित कर लेगा।"

3. उल्लेखनीय है कि उक्त संकल्प में कतिपय ग्रेड पे से उच्चतर ग्रेड पे पर प्रोन्नति हेतु 02/03 वर्ष की कालावधि निर्धारित है। साथ ही सभी सेवा/संवर्गों के नियमावलियों में परीक्ष्यमान अवधि सामान्यतः 02/03 वर्ष निर्धारित होती है।

ऐसी स्थिति में जहाँ मूल कोटि के पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु कालावधि 02 वर्ष निर्धारित है, वहाँ परीक्ष्यमान अवधि (जो सामान्यतः 02/03 वर्ष होती है) और प्रोन्नति का साथ-साथ होना युक्तिसंगत नहीं है।

4. वर्णित परिप्रेक्ष्य में कार्मिक विभागीय संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 की कंडिका-3 को विलोपित करते हुए उक्त संकल्प में कंडिका-3(i), (ii), (iii) एवं (iv) के रूप में निम्न प्रावधान अन्तःस्थापित किया जाता है:-

(i) जहाँ मूल कोटि के पद पर परीवीक्षा अवधि 02 वर्ष है तथा मूलकोटि के पद से उच्चतर पद पर प्रोन्नति हेतु वेतन आधारित कालावधि 02 वर्ष अथवा 03 वर्ष निर्धारित है, वहाँ प्रोन्नति हेतु कालावधि की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :-

उद्धारणस्वरूप:-मूल कोटि के पद का ग्रेड पे 4800/-

प्रथम प्रोन्नति का ग्रेड पे 5400/-, कालावधि-02 वर्ष

मूल कोटि में परीक्ष्यमान अवधि-02 वर्ष

ऐसी स्थिति में मूल कोटि में प्रथम नियुक्ति के पश्चात् प्रथम पदसोपान पर प्रोन्नति हेतु कालावधि की गणना-02 वर्ष (परीक्ष्यमान अवधि) + 02 वर्ष (कालावधि) = 04 वर्ष होगी।

(ii) यदि किसी वेतन ग्रेड से दूसरे वेतन ग्रेड में प्रोन्नति हेतु कालावधि विभागीय संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 में निर्धारित नहीं है, वहाँ मध्य के लेवल की कालावधियों को जोड़कर प्रोन्नति हेतु कालावधि का निर्धारण किया जाएगा।

- (iii) जिन सेवाशर्त नियमावलियों में सरकारी सेवक के उच्चतर पद पर प्रोन्नति के संबंध में पूर्व से कालावधि निर्धारित है, उनके मामलों में संबंधित नियमावली में अंकित प्रावधान ही प्रभावी होंगे।
- (iv) जिन सेवाशर्त नियमावलियों में सरकारी सेवक के उच्चतर पद पर प्रोन्नति के संबंध में पूर्व से कालावधि निर्धारित नहीं है, उनके मामलों में संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 में निरूपित प्रावधान ही प्रभावी होंगे।

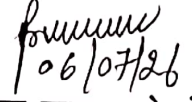
5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-3286 दिनांक-04.04.2014 की शेष कंडिकाएँ यथावत रहेंगी।

6. यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति विभागीय संलेख ज्ञापांक-4315 दिनांक-02.07.2026 के क्रम में दिनांक-02.07.2026 की बैठक के मद संख्या-26 के रूप में दी गयी है।

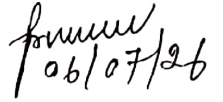
आदेश : आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतियां सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,


(प्रवीण कुमार टोप्पो)
सरकार के सचिव।

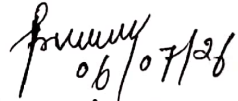
ज्ञापांक-10/नीति नि०-07-02/2026 का. - 4366/राँची, दिनांक 06/07/2026

प्रतिलिपि- नोडल पदाधिकारी, ई-गजट, कार्मिक, प्र०सु० तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को झारखण्ड ई-गजट के असाधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।


सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-10/नीति नि०-07-02/2026 का. - 4366/राँची, दिनांक 06/07/2026

प्रतिलिपि- सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सचिव, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची/सचिव, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग, राँची को सूचनार्थ प्रेषित।


सरकार के सचिव।